पत्र संख्या-विधि-1-(3) ईट भट्टा-समा0यो0 (2010-11)/ **1679** / **1011074** / वाणिज्य कर ।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग)
दिनांक:: लखनऊ:: **29 दिसम्बर, 2010**

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
समस्त डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण)
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय:- ईट भट्टा सीजन वर्ष 2010-11 में दिनांक 01-10-2010 से दिनांक 30-09-2011 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अन्तगर्त ईट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईटों, ईट भट्ो मे निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ो तथा राबिश की बिक्री पर और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू एवं लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र मे माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 के अधीन कोयले पर देय प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि लिये जाने से संबंधित समाधान योजना लागू किया जाना।

शासन के पत्र संख्या-क0नि0-1939/ग्यारह-2-2010-9-(32)/09 दिनांक 29-12-2010 द्वारा ईंट भट्टा सीजन वर्ष 2010-2011 में दिनांक 01-10-2010 से दिनांक 30-09-2011 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत ईट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईटों, ईट भट्ठों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री पर और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अधीन कोयले पर देय प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि लिये जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। शासन का उक्त पत्र एवं निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे है।

2- शासन के निर्देश के अनुसार कुछ प्रमुख तथ्य एवं शर्ते निम्नवत् है :-

(1) यह समाधान योजना ईंट भट्टा सीजन वर्ष 2010-2011 में दिनांक 01-10-2010 से दिनांक 30-09-2011 तक की अवधि के लिए है।

(2) समाधान योजना का लाभ उन्ही ईट निर्माताओं को उपलब्ध होगा यदि इस परिपत्र के निर्गत होने के **20 दिन के अन्दर** ईट भट्ठा व्यवसाइयों द्वारा समाधान योजना हेतु विकल्प का प्रार्थना-पत्र, निर्धारित समाधान धनराशि के जमा के प्रमाण के साथ सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उसके पश्चात् यदि **15 दिन के अन्दर** इस अवधि के लिए देय समाधान राशि 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा करके समाधान योजना का विकल्प प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब भी इसे स्वीकार कर लिया जायेगा। उक्त दोनो समय सीमा के बाद राजस्व हित में समाधान योजना का विकल्प देने के लिए अधिकतम 30 दिन की अतिरिक्त अवधि बढ़ाने का अधिकार कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0 को है एवं विकल्प हेतु निर्धारित 20 दिन की अवधि के उपरान्त कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0 द्वारा अनुमन्य की गई अवधि तक के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित समाधान राशि जमा करनी होगी।

(3) सीजन वर्ष 2010-2011 (दिनांक 01-10-2010 से दिनांक 30-09-2011 तक) की अवधि के लिए समाधान राशि सीजन वर्ष 2009-10 की अवधि के लिए विभिन्न पायो के भट्ठों के लिए निर्धारित समाधान राशि के बराबर निर्धारित की गयी है , जो निम्नवत् हैं :-

ईट भट्ठा सीजन वर्ष 2010-2011 के लिए निर्धारित समाधान राशियां

पायों की संख्या	सीजन वर्ष 2010-2011 (दि0-1-10-10 से दि0 30-9-2011 तक) की अवधि के लिए **निर्धारित** मूल्य संवर्धित कर की समाधान राशि		सीजन वर्ष 2010-2011 (दि0-1-10-10 से दि0 30-9-2011 तक) की अवधि के लिए **निर्धारित** प्रवेश कर की समाधान राशि	
	नान हाई ड्राट	हाई ड्राट	नान हाई ड्राट	हाई ड्राट
1	2	3	4	5
15	90964	100060	9096	10006
16	109572	120528	10957	12053
17	130244	143268	13024	14327
18	152984	168284	15298	16828
19	179860	197848	17986	19785
20	206736	227408	20674	22741
21	235680	259248	23568	25925
22	268756	295632	26876	29563
23	308036	338840	30804	33884
24	349384	384324	34938	38432
25	392800	432080	39280	43208
26	440348	484384	44035	48438
27	489964	538960	48996	53896
28	539580	593540	53958	59354
29	589200	648120	58920	64812
30	638812	702692	63881	70269
31	688432	757276	68843	75728
32	738048	811852	73805	81185
33	787664	866432	78766	86643
34	837280	921008	83728	92101
35	888964	977860	88896	97786
36	940648	1034712	94065	103471
37	992332	1091564	99233	109156
38	1044016	1148416	104402	114842
39	1095700	1205272	109570	120527
40	1147384	1262124	114738	126212
41	1199068	1318976	119907	131898
42	1250752	1375828	125075	137583

43	**1302436**	**1432680**	**130244**	**143268**
44	**1354120**	**1489532**	**135412**	**148953**
45	**1405804**	**1546384**	**140580**	**154638**
46	**1457488**	**1603236**	**145749**	**160324**
47	**1509172**	**1660088**	**150917**	**166009**

(4) कतिपय ईट भट्ठों मे फुकाई शीघ्र पूरी किये जाने के उद्देश्य से हाईड्राट तकनीक भी लगायी जाती है । हाई ड्राट भट्ठों के लिए समाधान राशि, नॉन हाई ड्राट भट्ठों के लिए निर्धारित समाधान राशि से 10 प्रतिशत अधिक होगी ।

(5) कोयले की खरीद पर देय प्रवेश कर के विकल्प के रुप में समाधान राशि उपरोक्तानुसार निर्धारित धनराशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगी तथा कोयले पर प्रवेश कर के विकल्प के रुप में समाधान योजना अपनाने के लिए तद्नुसार समाधान राशि जमा करनी होगी ।

(6) सीजन वर्ष 2010-2011 के प्रारम्भ अर्थात दि0 01-10-2010 से पूर्व स्थापित एवं विभाग में पंजीकृत ईट भट्ठों की ओर से कम से कम रु0- 320 करोड़ की धनराशि जमा की जायेगी । यदि ईट भट्ठा सीजन वर्ष 2010-2011 के प्रारम्भ अर्थात् दिनांक 1-10-2010 से पूर्व स्थापित एवं विभाग में पंजीकृत भट्ठों से रुपया- 320 करोड़ से कम धनराशि के लिए समाधान के विकल्प प्रार्थना पत्र प्राप्त होते है तो समाधान योजना अपनाने वाले ऐसे भट्ठों द्वारा अवशेष राशि के समानुपातिक रुप से इसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी और तद्नुसार कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0 द्वारा आगामी किश्तों का निर्धारण माह फरवरी, 2011 के बाद अनुपातिक रुप से किया जायेगा अथवा समाधान योजना अस्वीकार करने पर भी शासन विचार कर सकता है ।

(7) यदि उपर्युक्त प्रस्तर में वर्णित पुराने भट्ठों से दि0 31-05-2011 तक रुपया- 320 करोड़ से अधिक समाधान राशि सीजन वर्ष 2010-2011 के लिये प्राप्त होती है तो अधिक प्राप्त धनराशि का 50 प्रतिशत समानुपातिक रुप से समाधान योजना स्वीकार करने वाले ईट निर्माताओं को अगले सीजन वर्ष में देय होने वाली समाधान राशि में अन्तिम किश्त में समायोजित की जायेगी । जिन भट्ठों के सम्बन्ध में अगले सीजन वर्ष में समाधान योजना नहीं अपनायी जायेगी उन्हें यह समायोजन अनुमन्य नहीं होगा ।

(8) सीजन वर्ष 2010-2011 की समाधान योजना हेतु नियत समाधान राशि के 20 प्रतिशत के बराबर समाधान राशि के जमा करने के प्रमाण के साथ प्रार्थना पत्र व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा । उक्त के अतिरिक्त देय सम्पूर्ण समाधान राशि का क्रमश: 20 प्रतिशत भाग दि0 20-01-2011 तक, 20 प्रतिशत भाग दिनांक 20 फरवरी 2011 तक, 10 प्रतिशत भाग दिनांक 20 मार्च 2011 तक, 10 प्रतिशत भाग दि0 25 मार्च 2011 तक, 10 प्रतिशत भाग 20 अप्रैल 2011 तक एवं 10 प्रतिशत भाग दिनांक 20 मई 2011 तक जमा किया जायेगा । उक्तानुसार निर्धारित किश्तें निर्धारित समय तक नहीं जमा करने की स्थिति में 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा ।

(9) सीजन वर्ष 2009-10 के पूर्व स्थापित एवं विभाग में पंजीकृत ईट भट्टों द्वारा सीजन वर्ष 2009-10 के लिये दि0 31-12-2010 तक जमा समाधान राशि रु0 252 करोड़ से जितनी अधिक होगी उसका 50 प्रतिशत धनराशि समानुपातिक रूप से सीजन वर्ष 2010-11 की समाधान योजना की अन्तिम किश्त में समायोजित की जायेगी, यदि ऐसे व्यापारी द्वारा ऐसे ईट भट्टे के लिए सीजन वर्ष 2010-11 में समाधान योजना स्वीकार की गई है ।

3- समाधान योजना सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र/अनुबन्ध-पत्र का प्रारुप संलग्न किया जा रहा है ।

4- सीजन वर्ष 2010-2011 (दिनांक 1-10-2010 से दिनांक 30-9-2011 तक) की अवधि में समाधान योजना अपनाने वाले ईट भट्टो के सम्बन्ध में निम्नलिखित **प्रारुप-1(क) व प्रारुप-1(ख)** में तथा समाधान योजना न अपनाने वाले भट्टो के सम्बन्ध में **प्रारुप-2** में अलग-अलग सूचना सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर मुख्यालय को **प्रत्येक दशा में दिनांक 25-01-2011** तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके पश्चात् प्रत्येक माह के लिए **अनुवर्ती माह की 05 तारीख तक उक्त प्रारुप-1(क) व प्रारुप-1 (ख) तथा प्रारुप-2** में सूचनायें मुख्यालय उपलब्ध करायी जायेंगी।

प्रारुप-1 (क)

समाधान योजना अपनाने वाले भट्टो से सम्बन्धित विवरण

दिनांक 01-10-2010 से पूर्व स्थापित एवं पंजीक़त भट्ठों से सम्बन्धित सूचना

(धनराशि लाख रुपये में)

जितने पाये का भट्ठा है	समाधान योजना अपनाने वाले भट्ठो की संख्या	पूरे सीजन वर्ष के लिए मूल्य संवर्धित कर व प्रवेश कर की कुल **देय समाधान राशि** का विवरण			मूल्य संवर्धित कर की जमा समाधान राशि	प्रवेश कर की जमा समाधान राशि	व्याज, यदि जमा हो	जमा धन राशियों का योग (6+7)
		देय मूल्य संवर्धित कर की समाधान राशि	देय प्रवेश कर की समाधान राशि	योग (3+4)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल योग								

प्रारुप-1 (ख)

समाधान योजना अपनाने वाले भट्ठो से सम्बन्धित विवरण

दिनांक 01-10-2010 के पश्चात स्थापित एवं पंजीक़त भट्ठों से सम्बन्धित सूचना

(धनराशि लाख रुपये में)

जितने पाये का भट्ठा है	समाधान योजना अपनाने वाले भट्ठो की संख्या	पूरे सीजन वर्ष के लिए मूल्य संवर्धित कर व प्रवेश कर की कुल **देय समाधान राशि** का विवरण			मूल्य संवर्धित कर की जमा समाधान राशि	प्रवेश कर की जमा समाधान राशि	व्याज, यदि जमा हो	जमा धन राशियों का योग (6+7)
		देय मूल्य संवर्धित कर की समाधान राशि	देय प्रवेश कर की समाधान राशि	योग (3+4)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

कुल योग								

प्रारुप-2

समाधान योजना न अपनाने वाले भट्ठो से सम्बन्धित विवरण

(धनराशि लाख रुपये में)

जितने पाये का भट्ठा है	कुल भट्ठों की संख्या	समाधान योजना से बाहर रहने वाले भट्ठो की संख्या	समाधान योजना से बाहर रहने वाले भट्ठो के सम्बन्ध में					
			घोषित बिक्री	स्वीकृत जमा मूल्य सम्वर्धित कर	स्वीकृत जमा प्रवेश कर	अस्थायी कर निर्धारण द्वारा आरोपित कर	जमा कर	बकाया कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल योग :-								

5- कृपया शासन के निर्देशानुसार अधीनस्थ अधिकारियों से कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय तथा शासन के निर्देश से व्यापारिक संगठनों को एवं अधिवक्ता संघों को भी अवगत कराते हुए इस योजना की सफलता के लिए हर सम्भव प्रयास किये जाये।

संलग्नक :1-शासन का उक्त निर्देश।

2-समाधान प्रार्थना पत्र का प्रारुप।

3-शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र का प्रारुप।

(पदम कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।

(2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।

(3) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)

(4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0

(5) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ।

(6) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

(7) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/अपील/कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(8) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ।
(9) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर,इलाहाबाद ।
(10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।
(11) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
(12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मांर्ग,इलाहाबाद।
(14) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन,सेक्टर 10नोयडा।
(15) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद।
(16) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि 0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
(17) मैअनुल अनुभागा/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियॉं में।
(18) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियॉं।
(19) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
(20) अध्यक्ष,उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0185/293अमीनाबाद रोड,गणेश गंज,लखनऊ।
(21) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ।
(22) श्री श्याम बिहारी मिश्र,उर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
(23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुॅंज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ।
(24) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
(25) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
(26) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 4/180 विशाल खण्ड पी0वी0-17 गोमती नगर लखनऊ।
(27) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
(28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ।
(29) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।
(30) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ।
(31) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीयसलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)के माध्यम से।
(32) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली।
(33) शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,महा सचिव,उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली, मुजफ्फरनगर
(34) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।
(35) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
(36) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
(37) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।
(38) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी।
(39) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुॅंजगली,चौक,वाराणसी।
(40) श्री नेकी राम गर्ग,अध्यक्षपश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707,पंचशील कालोनी, महाबीर चौक,मु0नगर।
(41) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा।
(42) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर।
(43) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद।
(44) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद।
(45) श्री शैलेश मिश्रा, महामॅत्री, लोहा व्यापार मंडल,उत्तर प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर।
(46) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर।
(47) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
(48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
(49) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
(50) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ।
(51) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर।
(52) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ।
(53) श्री हुलास राय सिॅघल, प्रदेश अध्यक्ष,एफ-3,पार्क रोड,लखनऊ।
(54) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पॅजी0-बी-29,विधायक

निवास,दारुल शफा,लखनऊ।

(55) माननीय अध्यक्ष,व्यापार कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ।

(56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल , 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।

(57) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल , उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ ,6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ।

(58) अध्यक्ष , इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ।

(59) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।

(60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस।

(61) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।

(62) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)

(63) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट , खोया मण्डी इलाहाबाद।

(64) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, ।

(65) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद।

(66) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद।

(67) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ।

29/1/2010

(बी0एन0द्विवेदी)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

समाधान योजना में सम्मिलित होने के लिए प्रार्थना पत्र :-प्रारुप-1

वर्ष 2010-2011 में दिनांक 01-10-2010 से दिनांक 30-09-2011 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-6 के अन्तर्गत ईंट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईंटो, ईंट भट्टो में निर्मित टाइल्स ईंट के रोड़ो तथा राबिस की बिक्री और ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि दिये जाने सम्बन्धित समाधान प्रार्थना पत्र।

सेवा में,

डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,

खण्ड -----------------

मंडल / उपमंडल

महोदय,

मै, फर्म सर्वश्री --जिसका मुख्यालय--पर स्थित है तथा जिसे उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-17 में खण्ड / मण्डल / उपमण्डल कार्यालय ---------- ----------------------द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या (टिन) ---------------------दिनांक ------------ ----से प्रभावी जारी किया गया अथवा जिसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए डिप्टी / असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड /मंडल / उपमंडल ------------के कार्यालय में रसीद संख्या ----------------------- दिनांक -------------- को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, का स्वामी / साझीदार / ------------------हूँ। मैने ईंट निर्माताओं द्वारा अपने भट्टे में निर्मित ईंटों, भट्टों में निर्मित टाइल्स ईंट के रोड़ों तथा राबिस की दिनांक 01-10-2010 से 30-09-2011 तक की अवधि में की गई बिक्री पर तथा उक्त ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में धारा-6 में एक मुश्त राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है अथवा पूर्ण रुप से सुन लिया है और भली भाँति समझ लिया है। शासन के इन निर्देशों की सभी शर्ते मुझे मान्य है। उन्ही के अधीन मै यह प्रार्थना पत्र, उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मै उक्त फर्म द्वारा ईंटों, ईंट भट्टों में निर्मित टाइल्स ईंट के रोड़ों तथा राबिस की वर्ष 2010-2011 में दिनांक 01-10-2010 से 30-09-2011 में हुई बिक्री तथा इसी अवधि में ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में एक मुश्त धनराशि दिये जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु पूरे सीजन वर्ष 2010-2011 दिनांक (01-10-2010 से 30-09-2011) के लिए ------------------- पाया के भट्टे के लिए मूल्य संवर्धितकर की समाधान राशि रुपये ------------------- एवं प्रवेश कर की समाधान राशि रुपये -------------- अर्थात पूरे सीजन वर्ष के लिए कुल देय समाधान राशि रुपये ------------------ की एक मुश्त धनराशि संलग्न शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के अनुसार स्वीकार किये जाने का निवेदन करता हूँ। पूरे सीजन वर्ष के लिए उपरोक्तानुसार कुल देय समाधान राशि में से इस समाधान प्रार्थना पत्र के साथ

मूल्य संवर्धित कर की समाधान राशि रुपये --------------- एवं कोयले पर देय प्रवेश कर की समाधान राशि रुपये --------------- अथार्त कुल समाधान राशि रुपये --------------------- मैनें ट्रेजरी चालान संख्या --------------------- दिनांक --------------- द्वारा ------------------------- (बैंक व ब्रान्च का नाम) में जमा कर दिया है जिसकी प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है ।

सीजन वर्ष 2010-2011 में ईट भट्ठा समाधान योजना के अन्तगर्त समाधान योजना अपनाने वाले ऐसे भट्टे से, जो कि इस सीजन वर्ष के पूर्व से उत्पादन एवं बिक्री कर रहे है, की ओर से कम से कम रू0 320 करोड़ की धनराशि जमा की जायेगी । यदि ईंट भट्टा समधान सीजन वर्ष 2010-2011 के प्रारम्भ अर्थात दिनांक 01-10-2010 से पूर्व स्थापित एवं विभाग में पंजीकृत भट्टों से रुपये 320 करोड़ से कम धनराशि के लिए समाधान के विकल्प प्रार्थना पत्र प्राप्त होतें है तो समाधान अपनाने वाले भट्टों द्वारा अवशेष धनराशि के समानुपातिक रुप से इसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी और तद्नुसार आगामी किश्तो का निर्धारण माह मार्च 2011 के बाद अनुपातिक रुप से किया जायेगा अथवा समाधान योजना अस्वीकार करने पर भी शासन विचार कर सकता है । इस शर्त के लिए मैं पूर्णतय: सहमत हूँ ।

दिनांक 01-10-2010 को मेरे यहॉ स्टाक निम्नवत् था:-

क्रम संख्या	मद	संख्या/ मात्रा	स्थान जहॉ स्टाक है
01	पक्की ईंटे		
02	ईंटों के रोड़े		
03	भट्टो में निर्मित टाइल्स		
04	राबिस		
05	कोयला		
06	लकड़ी		
07	बालू		
08	लकड़ी का बुरादा		

दिनांक ----------------------

हस्ताक्षर------------------

पूरा पता-----------------

प्रास्थिति----------------

फर्म का नाम व पता -------------------

प्रमाणीकरण

मै इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रुप से जानता हूँ । यह फर्म --------------------------------के स्वामी / साझीदार-------------------------है तथा इस प्रार्थना पत्र पर इन्होने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये है ।

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर------------

पूरा नाम---------------------------------

पूरा पता-------------------------------

समाधान योजना मे सम्मिलित होने के लिए शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र :- प्रारुप-2

समक्ष डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,

खण्ड-----------------

मंडल / उपमंडल --

मै--------------------------------------पुत्र श्री-------------------आयु लगभग------वर्ष स्थायी निवासी--(पूरा पता) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :-

1- मै, फर्म सर्वश्री --जिसका मुख्यालय-------------------------------------(पूरा पता) पर स्थित है, का स्वामी / साझीदार --------------------------------(प्रास्थिति) हूँ तथा यह शपथ पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूँ।

2- मेरे फर्म के मुख्यालय तथा शाखाओं के विवरण निम्नवत् है :-

क्र. स.	पूरा पता	वस्तुएं जिनका निर्माण या व्यापार होता है	निर्मित वस्तुओं के साथ सह उत्पादो का विवरण
01	मुख्यालय		
02	शाखाएं (अ) (ब) (स)		

3- वर्ष 2010-2011 में दिनांक 01-10-2010 से 30-09-2011 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत ईंट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईंटो, ईंट भट्टो मे निर्मित टाइल्स ईट के रोड़ो तथा राबिस की बिक्री और ईंटो के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि दिये जाने से सम्बन्धित समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देशों एवं उसमें अंकित सभी शर्तो तथा कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये आदेशो एवं प्रतिबन्धों की पूरी पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरी फर्म में हितबद्व अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है तथा सभी निर्देश, शर्ते तथा प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरी फर्म में हितबद्व अन्य व्यक्तियों को मान्य है और सदा रहेंगे।

4- मेरी उक्त फर्म के अपने निजी एवं लीज पर ईंट के निम्नलिखित भट्टे सीजन वर्ष 2010-2011 में दिनांक 01-10-2010 से 30-09-2011 की अवधि में रहे है।

भट्टों की संख्या	भट्टे की प्रकृति (नॉन हाईड्राट/ हाईड्राट)	जितन पायों का भट्टा है	एक समय में कितने स्थानो पर फुँकाई होती है	प्रत्येक भट्टे के लिए प्रस्तावित पूरे सीजन वर्ष के लिए एकमुश्त कुल समाधान राशि			
				मूल्य संवर्धित कर की समाधान राशि (रुपये में)	प्रवेश कर की समाधान राशि	ब्याज,यदि देय व जमा हो	कुल योग (कालम 5 व 6 का योग)
1	2	3	4	5	6	7	8

सभी भट्टो के लिए पूरे सीजन वर्ष हेतु कुल देय समाधान राशि का योग रुपये ------------------------

5- प्रस्तर 4 में अंकित भट्टो तथा इसी तालिका के स्तम्भ-8 में अंकित धनराशि का कुल योग रुपया---------------------होता है, जो मेरी / हमारी फर्म द्वारा पूरे सीजन वर्ष के लिए देय है। पूरे सीजन वर्ष के लिए देय उपरोक्तानुसार कुल समाधान राशि रुपये ------------------------में से प्रथम किृश्त के रुप में देय धनराशि रुपये ----------------------- का ट्रेजरी चालान, समाधान प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के साथ संलग्न है।

6- सीजन वर्ष 2010-2011 में ईट भट्ठा समाधान योजना के अन्तगर्त समाधान योजना अपनाने वाले ऐसे भट्टे से, जो कि इस सीजन वर्ष के पूर्व से उत्पादन एवं बिक्री कर रहे है, की ओर से कम से कम रू0 320 करोड़ की धनराशि जमा की जायेगी। यदि ईंट भट्टा समधान सीजन वर्ष 2010-2011 के प्रारम्भ अर्थात दिनांक 01-10-2010 से पूर्व स्थापित एवं विभाग में पंजीकृत भट्टों से रुपये 320 करोड़ से कम धनराशि के लिए समाधान के विकल्प प्रार्थना पत्र प्राप्त होतें है तो समाधान अपनाने वाले भट्टों द्वारा अवशेष धनराशि के समानुपातिक रुप से इसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी और तद्नुसार आगामी किश्तो का निर्धारण माह मार्च 2011 के बाद अनुपातिक रुप से किया जायेगा अथवा समाधान योजना अस्वीकार करने पर भी शासन विचार कर सकता है। इस शर्त के लिए मैं पूर्णतय: सहमत हूँ।

7- यदि सीजन वर्ष 2010-2011 में दिनांक 01-10-2010 से दिनांक 30-09-2011 की अवधि हेतु धारा 6 में मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के साथ अनुलग्नक प्रारुप-1 में दी गयी शर्तो का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश द्वारा लगायी गयी शर्तो / प्रतिबन्धों में दिये गये आदेशो का अनुपालन करने तथा अपने दायित्वों का निर्वाहन करने के लिए बाध्य होगी। शासनादेश एंव परिपत्र में दिये गये निर्देशों तथा निर्धारित शर्तो का अनुपालन न किये जाने की दशा में उत्तर प्रदेश

राज्य सरकार तथा वाणिज्य कर विभाग नियमानुसार कार्यवाहियाँ मेरी फर्म के विरुद्ध कर सकेगा।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

हस्ताक्षर-----------------

पूरा पता----------------

प्रास्थिति---------------

फर्म का नाम व पता ------------------

घोषणा

मैं---उपरोक्त घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के प्रस्तर (1) से (7) में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य है और कोई तथ्य छिपाया नही गया है। यह भी घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र / अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तो और निर्देशों से मैं तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आबद्ध रहेंगे।

साक्षी के हस्ताक्षर--------------------------------

नाम एवं पता -------------------------------------

तिथि एवं स्थान--------------------------------------

हस्ताक्षर-----------------

पूरा पता-----------------

प्रास्थिति-----------------

फर्म का नाम व पता ----------------------

संख्याः–क0नि0– 1939 /ग्यारह–2–2010–9(32)/09

प्रेषक,

एस0एन0 प्रसाद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 लखनऊःःदिनांकःः 29 दिसम्बर, 2010

विषय : ईट भट्टा सीजन वर्ष 2010–2011 में दिनांक 01–10–2010 से दिनांक 30–09–2011 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत ईंट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईटों, ईट भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री पर और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अधीन कोयले पर देय प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि लिए जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू किया जाना।

महोदय,

सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के ईट निर्माता व्यापारियों के लिये ईट भट्टा सीजन वर्ष 2010–11 में दिनांक 1.10.2010 से 30.9.2011 तक की अवधि के लिये उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत ईंट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईटों, ईट भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री पर और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अधीन कोयले पर देय प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि लिए जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू की जाय। इस सम्बन्ध में शासन के निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न हैं। समाधान संबंधी प्रार्थना–पत्र/शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्र गत वर्षों के अनुरूप कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0 द्वारा जारी किया जायेगा। शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कमिश्नर, वाणिज्यकर समाधान राशि की गणना नान–हाईड्राट भट्टों व हाईड्राट भट्टों के लिये अलग–अलग करते हुए विस्तृत निर्देश अपने स्तर से जारी करेंगे।

2. इस संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुरूप कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करने एवं योजना के अन्तर्गत प्राप्त राजस्व के आंकड़े भी यथासमय शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एस0एन0 प्रसाद)
विशेष सचिव।

ईट भट्टा सीजन वर्ष 2010–2011 में दिनांक 01–10–2010 से दिनांक 30–09–2011 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत ईंट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईटों, ईट भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री पर और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अधीन कोयले पर देय प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि लिए जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू लागू किये जाने के संबंध में शासन के निर्देश।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अधीन उत्तर प्रदेश में ईटों के निर्माताओं से उनके द्वारा सीजन वर्ष 2010–11 में दिनांक 01.10.2010 से दिनांक 30.09.2011 तक की अवधि में निर्मित ईटों, ईट भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर एवं प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि (जिसे आगे समाधान राशि कहा गया है) कर निर्धारक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकार की जा सकती है:–

(1) सीजन वर्ष 2010–11 (दिनांक 1.10.2010 से 30.9.2011 तक) की अवधि के लिये समाधान राशि सीजन वर्ष 2009–10 की अवधि के लिये विभिन्न पायों के भट्टों के लिये निर्धारित समाधान राशि के बराबर निर्धारित कर दी जाय।

(2) कतिपय ईट भट्ठों में फुॅकाई शीघ्र पूरी किये जाने के उद्देश्य से हाई ड्राट तकनीक भी लगायी जाती है । हाई ड्राट भट्ठों के लिए समाधान राशि, नॉन हाई ड्राट भट्ठों के लिए निर्धारित समाधान राशि से 10 प्रतिशत अधिक होगी।

(3) कोयले की खरीद पर देय प्रवेश कर के विकल्प के रूप में समाधान राशि निर्धारित समाधान धनराशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगी तथा कोयले पर प्रवेश कर के विकल्प के रूप में समाधान योजना अपनाने के लिये तद्नुसार समाधान राशि जमा करनी होगी।

(4) सीजन वर्ष 2010-11 के प्रारम्भ अर्थात दिनांक 01.10.2010 से पूर्व स्थापित एवं विभाग में पंजीकृत ईट भट्ठो की ओर से कम से कम रू0 320 करोड़ की धनराशि जमा की जाएगी।

(5) समाधान योजना के कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा परिपत्रित करने के 20 दिन के अन्दर ईट भट्ठा व्यवसाइयों द्वारा समाधान योजना हेतु विकल्प का प्रार्थनापत्र निर्धारित समाधान

धनराशि के जमा के प्रमाण के साथ सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उसके पश्चात यदि 15 दिन के अन्दर इस अवधि के लिए देय समाधान राशि 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा करके समाधान योजना का विकल्प प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाता है तब भी इसे स्वीकार कर लिया जायेगा। उक्त दोनों समय सीमा के बाद राजस्व हित में समाधान योजना का विकल्प देने के लिये अधिकतम 30 दिन की अतिरिक्त अवधि बढ़ाने का अधिकार कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0 को प्रदान कर दिया जाये एवं विकल्प हेतु निर्धारित 20 दिन की अवधि के उपरान्त कमिश्नर, वाणिज्यकर उ0प्र0 द्वारा अनुमन्य की गयी अवधि तक के लिये 15% वार्षिक ब्याज सहित समाधान राशि जमा करनी होगी।

(6) सीजन वर्ष 2010-11 की समाधान योजना हेतु नियत समाधान राशि के 20 प्रतिशत के बराबर समाधान राशि के जमा करने के प्रमाण के साथ प्रार्थनापत्र व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा । उक्त के अतिरिक्त देय सम्पूर्ण समाधान राशि का क्रमशः 20 प्रतिशत भाग दिनांक 20 जनवरी, 2011 तक, 20 प्रतिशत भाग 20 फरवरी, 2011 तक, 10 प्रतिशत भाग दिनांक 20 मार्च, 2011 तक, 10 प्रतिशत भाग दिनांक 25 मार्च, 2011 तक, 10 प्रतिशत भाग दिनांक 20 अप्रैल, 2011 तक एवं 10 प्रतिशत भाग दिनांक 20 मई, 2011 तक जमा किया जायेगा। उक्तानुसार निर्धारित किश्तें निर्धारित समय तक नहीं जमा करने की स्थिति में 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देय होगा।

(7) समाधान योजना परिपत्रित होने के पूर्व जारी किये गये टैक्स इन्वाइस के अनुसार वसूल की गयी कर की धनराशि का कोई लाभ समाधान योजना अपनाने वाले ईट निर्माताओ को देय धनराशि में नहीं दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त कर के रुप में जमा की गयी धनराशि, जिसमें अस्थाई कर निर्धारण के फलस्वरूप जमा कर की धनराशि भी सम्मिलित है, समाधान राशि में समायोजित की जायेगी परन्तु किसी भी प्रकार के अर्थदण्ड अथवा ब्याज की धनराशि निर्धारित समाधान राशि में समायोजित नही की जायेगी।

(8) समाधान योजना अपनाने वाले ईट भट्ठा व्यवसाईयों को आई0 टी0 सी0 का लाभ अनुमन्य नही होगा तथा इन व्यापारियों द्वारा

समाधान की अवधि में न तो कोई कर वसूल किया जायेगा और न ही कोई टैक्स इन्वाईस जारी की जायेगी।

(9) समाधान योजना अपनाने वाले ईट भट्ठा व्यापारियों से समाधान योजना निर्गत होने के पूर्व टैक्स इन्वाईस से क्रय करने वाले पंजीकृत क्रेता व्यापारियों को आई0टी0सी0 का लाभ अनुमन्य नही हो सकेगा, परन्तु ऐसे क्रेता व्यापारियों को हानि से बचाने के लिए उपयुक्त होगा कि आई0 टी0 सी0 अनुमन्य नही होने के कारण यदि कोई मांग सृजित होती है तो उसे माफ करने का अधिकार सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को दे दिया जाय।

(10) कोई व्यापारी जिस भट्ठे के लिए समाधान योजना का विकल्प चुनता है, समाधान योजना केवल उसी भट्ठे के लिए लागू मानी जायेगी। व्यापारी यदि उससे भिन्न किसी भट्ठे से भी निर्मित किसी माल की बिक्री करते है या अन्य प्रकार के क्रय विक्रय के कार्य करते है तो अन्य भट्ठे पर निर्मित माल अथवा अन्य प्रकार के क्रय विक्रय पर देय कर इस समाधान योजना से आच्छादित नही होगा।

(11) यदि किसी ईट निर्माता द्वारा गत सीजन वर्षो में समाधान योजना अपनायी गयी थी परन्तु समाधान राशि की सभी किश्तें जमा नही की गयी है तो उक्त बकाया समाधान राशि ब्याज सहित जमा करने के प्रमाण पत्र के साथ ही इस सीजन वर्ष के लिए दिये गये समाधान प्रार्थना पत्र को समाधान राशि के साथ जमा करने पर स्वीकार किया जायेगा, अन्यथा समाधान योजना का लाभ अनुमन्य नही होगा।

(12) केवल पंजीकृत व्यापारी तथा ऐसे व्यापारी जिन्होंने पंजीयन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया है और वह अस्वीकृत नही हुआ हो इस योजना के पात्र होंगे।

(13) इस योजना में भाग लेने वाले व्यापारियों द्वारा निर्मित माल की बिक्री पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अन्य किसी प्राविधान की कोई भी अन्य रियायत अनुमन्य नही होगी।

(14) सीजन वर्ष के दौरान नये खुदे हुये ईट भट्ठों में फुँकाई आरम्भ होने की तिथि से 30 दिन केअन्दर समाधान योजना हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(15) यदि सीजन वर्ष के दौरान दिनांक 31 मार्च तक फुकाई प्रारम्भ कर दी जाती है तो पूरे सीजन वर्ष के लिए नियत समाधान राशि देय होगी, लेकिन यदि नये खुदे भट्ठे में फुँकाई दिनांक 31 मार्च के पश्चात प्रारम्भ की जाती है तो समाधान राशि पूरे सीजन वर्ष के लिए नियत समाधान राशि के 75 प्रतिशत के बराबर देय होगी।

(16) यदि ईट भट्ठा सीजन वर्ष 2010-11 के पूर्व स्थापित एवं विभाग में पंजीकृत भट्ठों से रू0 320 करोड़ से कम धनराशि के लिए समाधान के विकल्प प्रार्थना पत्र प्राप्त होते है तो समाधान योजना अपनाने वाले ऐसे भट्ठो द्वारा अवशेष राशि के समानुपातिक रूप से इसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी और तदनुसार कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा आगामी किश्तों का निर्धारण माह फरवरी, 2011 के बाद अनुपातिक रूप से किया जायेगा अथवा समाधान योजना अस्वीकार करने पर भी शासन विचार कर सकता है ।

(17) उपप्रस्तर (16) के अनुसार किश्तों की समाधान राशि संशोधित किये जाने की स्थिति में सीजन वर्ष 2010–11 के दौरान स्थापित ईट भट्ठों को भी तदनुसार संशोधित समाधान राशि जमा करनी होगी।

(18) यदि सीजन वर्ष के पूर्व स्थापित एवं पंजीकृत ईट भट्ठों से 31 मई, 2011 तक रू0 320 करोड़ से अधिक समाधान राशि सीजन वर्ष 2010-11 के लिये प्राप्त होती है तो अधिक प्राप्त धनराशि का 50 प्रतिशत समानुपातिक रूप से समाधान योजना स्वीकार करने वाले ईट निर्माताओं को अगले वर्ष देय होने वाली समाधान धनराशि में अंतिम किश्त में समायोजित की जायेगी । जिन भट्ठों के सम्बन्ध में अगले सीजन वर्ष में समाधान योजना नहीं अपनायी जायेगी उन्हें यह समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(19) सीजन वर्ष 2009–10 के पूर्व स्थापित एवं विभाग में पंजीकृत ईट भट्टों द्वारा सीजन वर्ष 2009–10 के लिये दिनांक 31.12.2010 तक जमा समाधान राशि रू0 252 करोड़ से जितनी अधिक होगी उसका 50 प्रतिशत धनराशि समानुपातिक रूप से सीजन वर्ष 2010–11 की समाधान योजना की अन्तिम किश्त में समायोजित की जायेगी। यदि ऐसे व्यापारी द्वारा ऐसे ईट भट्टे के लिये सीजन वर्ष 2010–11 में समाधान योजना स्वीकार की गयी है।

(20) प्रार्थनापत्र तथा शपथपत्र आदि में अंकित तथ्यो के सम्बन्ध मे वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी ईट भट्ठो आदि की जॉच करने के लिए स्वतन्त्र होगें । ऐसी जॉच के समय ईट निर्माता व्यापारी अथवा उनके कोई कर्मचारी या प्रतिनिधि जॉच कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करेंगें और जॉच में पूरा सहयोग देगें । व्यवधान उत्पन्न होने अथवा असहयोग करने की स्थिति में प्रार्थनापत्र तथा शपथपत्र मे अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में विपरीत निष्कर्ष निकाला जायेगा । साथ ही यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा उचित समझा जाय तो प्रार्थनापत्र अस्वीकार किया जा सकता है तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत अन्य विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है ।

(21) समाधान प्रार्थना–पत्र, शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्र का प्रारूप कमिश्नर, वाणिज्यकर द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(22) विवादित बिन्दु पर कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश का निर्णय अंतिम होगा ।

(एस0एन0 प्रसाद)
विशेष सचिव।